संख्या:एच0टी0सी0–एफ(1)–1/2020
हिमाचल प्रदेश सरकार
उद्यान विभाग

SMO
JAM 15/12/23

प्रेषक

सचिव (उद्यान)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला

प्रेषित

निदेशक उद्यान विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–02

निदेशालय उद्यान विभाग हि. प्र. नव बहार, शिमला–2
दै सं. 18130
दिनांक 16/12/23

दिनांक, शिमला–02 13/12/2023

विषय: हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 में आम के प्रोक्योरमैंट के लिए मंडी मध्यस्थता योजना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र सं0: No.4-33/2021-udyan(M), दिनांक 31.08.2023 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023–24 में आम के प्रोक्योरमैंट के लिए मंडी मध्यस्थता योजना लागू करने हेतु सरकार की स्वीकृति निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है:–

Sh. Susheel HEO
Sng 16/12/2023

i) योजना के अन्तर्गत 250 मी0 टन सिडलिंग, 500 मी0 टन ग्राफटिड तथा 500 मी0 टन कच्चा आचारी प्रजाति के आम का प्राक्योरमेंट क्रमशः ₹ 12.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से किया जाएगा।

ii) फल का प्रोक्योरमेंट एच०पी०एम०सी० तथा हिमफैड द्वारा किया जाएगाा तथा इन प्रोक्योरमेंट संस्थाओं को रु 1.30 प्रति कि०ग्रा की दर से हैंडलिंग चार्जेज दिये जाएंगे।

iii) कल्पित विक्रय वसूली को सिडलिंग तथा कच्चा आचारी प्रजाति के लिए रु 2500 प्रति मी० टन तथा ग्राफटिड प्रजाति के आम के लिए रु 3500 प्रति मी० टन रखा जाएगा।

iv) योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित 42 खरीद केन्द्र एच०पी०एम०सी० तथा हिमफैड द्वारा परस्पर समन्वय व पिछले तीन से पांच वर्षों के प्रोक्योरमेंट आंकडों के आधार पर खोले जायेंगे। ये केन्द्र प्रोक्योरमेंट संस्थाओं द्वारा आवश्यकता होने पर खोले जाऐंगे तथा इनका संचालन प्रोक्योरमेंट संस्थाएं अपने स्टाफ द्वारा करेगी क्योंकि उद्यान विभाग प्राक्योरमेंट व फलों की जांच हेतु अपने स्टॉफ की सेवाएं देने की स्थिति में नहीं है।

जारी है...

v) भण्डारण व यातायात के नुकसान इत्यादि की भरपाई को ध्यान में रखते हुए योजना के अन्तर्गत इस वर्ष भी फलों का प्राक्योरमेंट 2.5 प्रतिशत अधिक फल सहित किया जाएगा जिसके लिए कोई रसीद जारी नहीं की जाएगी।

vi) आम का प्राक्योरमेंट केवल कार्ड धारक किसानों/बागवानों से किया जाएगा जिनके पास आम उगाने हेतु 10 बीघा या इससे कम भूमि है तथा ठेकेदारों से कोई फल खरीदा नहीं जाएगा।

vii) यह योजना राज्य में 01.07.2023 से 31.08.2023 तक लागू की जाएगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त स्वीकृति के अनुसार, इस मामलें को आप भारत सरकार से भी उठाये। इस निर्णय का व्यापक प्रचार करें ताकि राज्य के फल उत्पादक इस योजना का अधिक से अधिक लाभ ले सकें।

भवदीय

(डॉ0 विक्रम सिंह)
संयुक्त सचिव (उद्यान)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दू0सं0:0177–2628483

पृष्ठांकनः उपरोक्त दिनांक, शिमला–171002

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. अवर सचिव (सहकारिता), भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
2. सचिव (वित्त), हि0 प्र0 सरकार, शिमला–02 ।
3. सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार को माननीय मंत्रीपरिषद की दिनांक 23.08.2023 की बैठक में चर्चा की गई मद संख्याः41 के संदर्भ में।
4. प्रबन्ध निदेशक, एच0पी0एम0सी0, निगम विहार, शिमला–02 ।
5. प्रबन्ध निदेशक, हिमफैड, शिमला–03।
6. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क हि0प्र0, शिमला–02।
7. निजि सचिव, उद्यान मंत्री, हि0 प्र0, शिमला–02।
8. गार्ड नस्ति।

(डॉ0 विक्रम सिंह)
संयुक्त सचिव (उद्यान)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दू0सं0:0177–2628483